COURT FEE Rs.10 भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

(50)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4928

प्रकरण कमांक ..../

श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा, आयु–वयस्क

पत्नी श्री टी.पी.विश्वकर्मा

निवासी– 35–36, ओम शिव नगर कालोनी

लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता/आवेदक

(24)

विरूद्ध

अभिभाषक श्री दीपक ग्वालियर द्वारा आज दिनांक 27.11.17 को पेश। अधीक्षक

1. प्रथम पाटीदार पुत्र श्री गिरधारीलाल, आयु–वयस्क
   निवासी– ई–8/167, भरत नगर, शाहपुरा, भोपाल
2. दौलत सिंह पुत्र श्री लालजी वयस्क
   निवासी– ग्राम ईटखेड़ी छाप, तहसील–हुजूर
   जिला– भोपाल (म.प्र.) .... उत्तरदाता/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता माननीय राजस्व निरीक्षक, वृत्त–4 तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक– 123/अ–12/16–17 (प्रथम पाटीदार विरूद्ध सर्वसाधारण) में की गयी संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही सहित आदेश दिनांकित 08/06/17 जिसकी सर्वप्रथम जानकारी निगरानीकर्ता को उत्तरदाता क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण धारा–250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में जारी सूचना पत्र के माध्यम से दिनांक 12/9/17 को प्राप्त हुई है, से व्यथित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष अनेकानेक वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

रेखा ठाकुर क्र. 1659 सां.ले. /2014 आयुक्त, भोपाल

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/174928

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्र.क्र.123/अ-12/2016-17में पारित आदेश दि. 8-6-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही में आवेदक को उसका पक्ष रखने का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही विधि सम्यक् रूप से उसे सूचना पत्र की तामीली कराई गई है। तथाकथित सूचना पत्र पर अनावेदक एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक ने मिली भगत कर आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर करके उस पर तामीली दर्शाई है । आवेदक अपने परिवार के साथ शीर्षक चरण में वर्णित पते पर निवास करती है किन्तु सीमांकन प्रकरण में जारी सूचना पत्र में गलत पता अंकित करते हुये सूचना पत्र की तामीली होना अभिकथित किया गया है जिस कारण आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना सीमांकन कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। 4- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में पता तथा पति का नाम गलत अंकित किया गया है तथा दिनांक में भी ओव्हरराईटिंग है । अभिलेख में संलग्न फील्डबुक एवं नक्शे में कब्जे की जगह स्पष्ट चिन्हित नहीं है । अत: इस प्रकरण में यह न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुन: विधिवत उभयपक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर सीमांकन करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । 5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दि. 8-6-2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुन: विधिवत उभयपक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर सीमांकन करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	